महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठान से जुड़े समस्त महानुभाव !

पाठशाला-संस्थापक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, गुरु-शिष्य परम्परा से जुड़े अध्यापक, छात्र एवं जन सामान्य !

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा वेदों की मौखिक परंपरा संरक्षण हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । इन योजनाओं का शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर बढाने के लिए आप सभी की सूचनाएं महत्त्व पूर्ण हैं । मौखिक परंपरा संरक्षण से जुड़ी सभी वेद **पाठशालाओं** एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों की** गुणवत्ता बढ़ाने के लिये दिनांक 12-07-2017 को संपन्न महासभा की बैठक में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री जी, माननीय श्री प्रकाश जावडेकर जी नें भी इस संबंध में सूचनायें प्राप्त की हैं । पाठशालाओं एवं इकाइयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का मानदण्ड निर्धारण हेतु एक उच्चस्तर समिति का गठन किया जा रहा है । प्रतिष्ठान के विकास कार्य एवं पाठशालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता का विकास हेतु आप सूचनायें दे सकते हैं, जिससे **शैक्षणिक गुणवत्ता का मानदण्ड एवं निरीक्षण नियमावलि** बन सके ।

सूचनायें देने हेतु बिन्दु इस प्रकार है-

(1) मौखिक परंपरा संरक्षण से जुड़े **सभी पाठशालाओं** एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में** गुणवत्ता के क्या मानदण्ड हो सकते हैं ?

(2) वेदसंस्था, वेद अध्यापक, वेद छात्र इनके गुणवत्ता बने रहने के लिये क्या निकष होने चाहिये ?

(3) मौखिक परंपरा संरक्षण से जुड़े सभी पाठशालाओं एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में** गुणवत्ता के ग्रेडिंग श्रेणीकरण के क्या मानदण्ड हो सकते हैं *?

(4) "प्रत्येक मानदंड पर प्रत्येक **पाठशाला** एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाई को** ग्रेडिंग के स्केल पर गुणवत्ता को मापते समय क्या अंक प्रणाली हो" इस पर भी अपने विचार दे सकते हैं*।

(5) अध्ययन, अध्यापन, संचालन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं ?

(6) मानदेय बढाने के निकष क्या होने चाहिये ?

(7) प्रतिष्ठान से अपेक्षायें क्या हैं ?

(8) संस्था संचालकों से अध्यापकों की क्या अपेक्षायें हैं ?

(9) अध्यापकों से संस्था संचालकों की क्या अपेक्षायें हैं ?

(10) छात्रों से संस्था तथा अध्यापकों की क्या अपेक्षायें हैं ?

(11) संस्था, अध्यापकों से छात्रों की क्या अपेक्षायें हैं ?

(12) पाठ्यक्रम संबंधी आपके क्या विचार हैं ?

(13) पाठशाला के भूमि, भवन, छात्रावास, गोशाला, आदि के प्रति आपके क्या विचार हैं ?

(14) दैनंदिन समय सारणी- अध्यापकों- एवं छात्रों की नियत उपस्थिति आदि के प्रति आपके क्या विचार हैं ?

(15) अध्यापकों एवं छात्रों को क्या अवकाश होंगे ?

(16) भोजन व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, निवास व्यवस्था, स्वच्छता, आदि के प्रति आपके क्या विचार हैँ ?

(17) विद्यालय में ही नियत रूप से पौष्टिक भोजन व्यवस्था के प्रति आपके क्या विचार हैँ ?

(18) लिखित एवं मौखिक परीक्षा संबन्धी सुझाव ।

(19) वेदों की मौखिक परंपरा के संरक्षण से जुड़े **सभी पाठशालाओं** एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में** परीक्षा में कौन से बिन्दु मूल रूप में देखे जाय जिस से वेदों की मौखिक परंपरा का संरक्षण का यह मूल उद्देश्य अक्षुण्ण रहे।

मौखिक परंपरा संरक्षण से जुड़े सभी पाठशालाओं एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में** गुणवत्ता के लिये प्रतिष्ठान द्वारा संस्था एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई का मूल्यमापन होना आवश्यक है। प्रतिष्ठान द्वारा सभी **पाठशाला** का एवं **गुरु-शिष्य परम्परा** इकाई का प्रत्येक ०३(तीन) वर्ष पश्चात् निरीक्षण किया जाएगा । निरीक्षण हेतु देशभर में अलग-अलग प्रान्त के अनुसार समितियां बनाई जाएंगी। जो प्रान्त अनुसार **पाठशाला** का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण समिति द्वारा पाठशाला को **पाठशाला-गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ श्रेणीकरण के मानदण्डों से प्राप्त अंकों के आधार पर** चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। यथा –

सर्वोत्तम	(A)= 70% से अधिक
उत्तम	(B) = 60% से 69.99 %
मध्यम	(C)= 50% से 59.99%
निम्न	(D) = 49.99% से कम

पाठशाला को निम्न श्रेणी (D) प्राप्त होने पर पाठशाला का अनुदान तथा मान्यता रद्द की जा सकती है ।

इसलिये उक्त समस्त बिन्दुओं पर अपने अपने विचार दिनांक 18 नवम्बर, 2018 तक प्रतिष्ठान को Email msrvvpujn@gmail.com पर टंकित रूप में भेज सकतें हैं अथवा स्केन कर भेज सकेंगे। आपके सहयोग से, सूचनाओं से, मौखिक परंपरा संरक्षण से जुड़े सभी पाठशालाओं एवं **गुरु-शिष्य परम्परा में गुणवत्ता लाने का** प्रतिष्ठान का कार्य सम्पन्न होगा ।

सचिव

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

संलग्न- **पाठशाला** एवं **गुरु-शिष्य परम्परा इकाई के (प्रत्येक 18 पृष्ठ)** ग्रेडिंग के स्केल.

गुरु-शिष्य-इकई गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ श्रेणीकरण के मानदण्ड हो सकते हैँ *

शैक्षिक निकष (350 अंक)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	वेद अध्यापक योग्यता -उच्चतर अध्ययन प्रत्येक घनान्तपाठी को -25, क्रमपाठी को-20, जटा पाठी को-15, पद पाठी को-10, मूलपाठी जिसे वेद संहिता पूर्ण कण्ठस्थ है उसे -5, कण्ठस्थ नहीं है तो-00						
2.	प्रत्येक **गुरु-शिष्य-इकई** वेद अध्यापक का आधुनिक विषय योग्यता - उच्चतर अध्ययन MA in Modern Subject +B.Ed -25, BA in Modern Subject -15, MA-20; 12^{th} in Modern Subject +Veda qualification -10 10^{th} from State Board/CBSE/NIOS + Veda qualification -05						
3.	अध्यापक की उपस्थिति में पाठ्य-चर्या संचालन (curriculum transaction)का रिकार्ड एवं समय सारणी प्रतिदिन 18 या उससे अधिक घंटे-25 प्रतिदिन 14 या उससे अधिक घंटे-20 प्रतिदिन 12 या उससे अधिक घंटे-15						

	प्रतिदिन 10 या उससे अधिक घंटे-10 प्रतिदिन 8 घंटे -5 उस से कम-0						
4.	वेद अध्यापक द्वारा पिछले तीन वर्षों में पारम्परिक परीक्षा निकाय से उत्तीर्ण परीक्षाएं पिछले तीन वर्षों में घनान्तपाठी हो तो -25, क्रमपाठी हो तो -20, जटा पाठी हो -15, पद पाठी हो तो -10 उस से कम-0						
5.	वेद एवं वेद भाष्य में व्याख्यान देने में समर्थ अध्यापक कितने हैं? केवल संस्कृत/ केवल हिन्दी,/ केवल प्रादेशिक भाषा/ में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-5 संस्कृत एवं हिन्दी में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-10 हिन्दी, प्रादेशिक भाषा, एवं अंग्रेजी में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-15 संस्कृत, हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषा में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-20 संस्कृत, हिन्दी, प्रादेशिक भाषा एवं अंग्रेजी में वेद भाष्य में व्याख्यान देने में समर्थ-25						

6.	अध्यापक द्वारा स्वाध्याय-वेद शाखा पारायण आदि में सतत प्रवर्तन (प्रत्येक अध्यापक/ प्रत्येक कार्यक्रम एक अंक, अधिकाधिक पांच अंक)						
7.	अध्यापक द्वारा शैक्षिक दिनचर्या का पालन 8 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-25, 7 घंटे का दिनचर्या पर-20, 6 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-15, 5 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-10, 4 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-5, उस से कम पर-00						
8.	अध्यापक द्वारा विकृति पाठों का अध्यापन (संहिता से भी उच्च अध्ययन अपेक्षित है) (मूल पाठ मात्र-5, पद पाठ-10, जटा पाठ-15, क्रमपाठ-20, घनपाठ -25)						
9.	छात्र का सप्तम वर्ष परीक्षा परिणाम (पाठशाला का साधारण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
10.	छात्र का वेद भूषण पंचम वर्ष परीक्षा परिणाम (पाठशाला का साधारण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के						

	बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
11.	छात्र संख्या प्रत्येक अध्यापक 10 होने पर- 25 अंक, 8-10 के बीच-20, 5 से 7 के बीच-15, 4 होने पर 10 अंक, 3 हो तो 5 अंक, 1 होने पर-00						
12.	अध्यापक द्वारा चर्चासत्र / सम्मेलन का आयोजन /भागग्रहण प्रत्येक अध्यापक 5 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 25 प्रत्येक अध्यापक 4 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 20 प्रत्येक अध्यापक 3 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 15 प्रत्येक अध्यापक 2 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 10 प्रत्येक अध्यापक 1 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 5 प्रत्येक अध्यापक का भागग्रहण न होने पर, किसी एक का भी भाग ग्रहण न होने पर - 00						

13.	अध्यापक द्वारा अन्य व्याख्यान/प्रवचन भागग्रहण साधारण में अध्यापक 5 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 25 साधारण में अध्यापक 4 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 20 साधारण में अध्यापक 3 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 15 साधारण में अध्यापक 2 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 10 साधारण में अध्यापक 1 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 5 प्रत्येक अध्यापक का भागग्रहण न होने पर, किसी एक का भी भाग ग्रहण न होने पर - 00						
14.	अध्यापक द्वारा वेद विषय में प्राप्त पुरस्कार एक स्थानीय पुरस्कार में - 5 अंक वैदिक का समाज कार्य हेतु पुरस्कार में 5 अंक, विश्वविद्यालय स्तर में 10 अंक, राज्य स्तर पुरस्कार में 15 अंक, राष्ट्र स्तर पुरस्कार में 20 अंक अन्तर्- राष्ट्र स्तर पुरस्कार में 25 अंक						

15.	अध्यापक द्वारा वेद विषय में प्रकाशन एक स्थानीय प्रकाशन पर 5 अंक , वैदिक समाज कार्य प्रकाशन पर में 5 अंक, विश्वविद्यालय स्तर प्रकाशन में 10 अंक, राज्य स्तर प्रकाशन में 15 अंक, राष्ट्र स्तर प्रकाशन में 20 अंक, अन्तर्-राष्ट्रीय स्तर प्रकाशन में 25 अंक						

छात्र केन्द्रित निकष (225)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	प्रवेश प्रक्रिया- प्रत्येक अध्यापक 10 छात्र प्रवेश होने पर- 25 अंक, छात्र प्रवेश 8-10 के बीच-20, छात्र प्रवेश 5 से 7 के बीच-15, छात्र प्रवेश 4 होने पर 10 अंक, छात्र प्रवेश 3 हो तो 5 अंक, छात्र प्रवेश 1 होने पर-00						
2.	छात्रों के लिये सुविधा-छात्रों को पौष्टिक भोजन, सुयोग्य आवास आदि व्यवस्था प्रत्येक छात्र को खाद्य वस्तुएँ- 1.रोटी 2. दाल 3. सब्जी 4. चावल 5. स्वीट्/ पुरी-खीर 6. दूध 7. फल						

	8. छाच / दही सभी देने के प्रमाण मिलने पर 25, एक कम होने पर 5 अंक कम						
3.	छात्रों के अभिभावक के साथ परामर्श समावेश गत तीन वर्षों में प्रत्येक छह माह में एक बार परामर्श समावेश का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
4.	छात्रों के विकास हेतु कार्यक्रम आयोजन अधिकाधिक 25 अंक, प्रत्येक आयोजन पर 5 अंक						
5.	अन्य आधुनिक भाषाओं - आंग्ल, हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं में छात्रों का प्रावीण्य (आधुनिक भाषाओं में छात्रों का साधारण उत्तीर्ण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
6.	अन्य आधुनिक विषयों-गणित, समाजविज्ञान , योग, कम्प्यूटर् आदि में छात्रों का प्रावीण्य- छात्रों का साधारण उत्तीर्ण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
7.	आचार निष्ठता एवं दिनचर्या पालन						

	8 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-25 अंक, 7 घंटे का दिनचर्या पर-20 अंक, 6 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-15 अंक, 5 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-10 अंक, 4 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-5 अंक, उस से कम पर-00						
8.	खेल खूद व्यवस्था गत तीन वर्षों में प्रत्येक खेल- कबड्डी, फुटबाल, चेस एवं वेल्ली बाल खेलने की सुविधा पर 5 अंक, अधिकाधिक 25,						
9.	सामाजिक उपयोगी कार्य व्यवस्था (SUPW) गत तीन वर्षों में प्रत्येक सामाजिक उपयोगी कार्य व्यवस्था पर 5 अंक, अधिकाधिक 25,						
10.	छात्रों द्वारा प्राप्त पुरस्कार गत तीन वर्षों में प्रत्येक पुरस्कार पर 5 अंक, अधिकाधिक 25,						

ग्रन्थालय निकष (90 अंक)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	1.	2.	3.	4.	5.
1.	वेद सस्वर सी.डी /डी .वी. वी						

	प्रत्येक छात्र एक सी.डी -5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 सी.डी -00						
2.	ग्रन्थालय में कम्प्यूटर प्रति पांच छात्र एक कम्प्यूटर -5 अंक, प्रति 10 छात्र या उस से अधिक, 1 कम्प्यूटर -00		---	----	----	-----	
3.	वेद के ग्रन्थ संख्या प्रतिच्छात्र 1 वेद ग्रन्थ-5, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक 1 संहिता ग्रन्थ-00,		-----	-----	-----	-----	
4.	वेदांगों के ग्रन्थ संख्या प्रतिच्छात्र 1 वेदांगों के ग्रन्थ-5, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक 1 वेदांगों के ग्रन्थ-00,		-----	-----	-----	-----	
5.	वेद के अर्थ बोधक ग्रन्थ संख्या प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
6.	संस्कृत सम्भाषण परक ग्रन्थ प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ -5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
7.	संस्कृत सम्भाषण परक सी.डी प्रत्येक छात्र एक सी.डी -5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 सी.डी -00						
8.	संस्कृत व्याकरण परक ग्रन्थ-वाक्यरचना बोधक ग्रन्थ प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से		-----	-----	-----	-----	

	अधिक, 1 ग्रन्थ -00,						
9.	धातुपाठ ग्रन्थ प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 ग्रन्थ -00		-----	-----	-----	-----	
10.	शब्दमञ्जरी प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक छात्र, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
11.	अमरकोश प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक छात्र, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
12.	आधुनिक विषयों के ग्रन्थ संख्या प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
13.	छात्रों के मन के अनुकूल-ज्ञान वर्धक कहानी- जैसे- चन्दमामा, उपनिषत के बालकों के कहानी, चम्पक, तेनाली राम, विक्रम बेताल, आदि पुस्तक संख्या प्रत्येक विविधता का ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
14.	छात्रों के सामान्य ज्ञान नियतकालिक-प्रतियोगिता दर्पण, सम्भाषण सन्देश आदि प्रत्येक विविधता का नियतकालिक -1 अंक, अधिकाधिक पांच						
15.	विश्वकोश संख्या/भारतीय ज्ञान प्रणाली ग्रन्थ						

	प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
16.	NCERT/NIOS पाठ्यपुस्तक/राज्य सरकार के पाठ्यपुस्तक प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
17.	भारतीय भाषाओं में गणित, समाजविज्ञान एवं विज्ञान पुस्तक प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
18.	ग्रंथालय में पुस्तक लेनदेन समीक्षा एवं ग्रंथालय अभिलेख (रिकार्ड) विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष का 1 अंक						

गुरुशिष्य इकाई का समाज मुखी कार्य निकष (150)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	गुरुशिष्य इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम/ अध्यापक द्वारा भाग ग्रहण विगत पांच वर्षों का, प्रत्यक वर्ष आयोजित राज्यस्तरीय का 5 अंक, राष्ट्र स्तरीय का 10 अंक प्रत्येक अध्यापक भाग ग्रहण का प्रत्येक वर्ष का 5 अंक अधिकाधिक 25 अंक						

2.	सामान्य जनों के लिये वेद ज्ञान कार्यक्रम आयोजन विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आयोजित वेद ज्ञान कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
3.	छात्रों में से कितने वेद अध्यापक हुए हैं, एवं वेद अध्यापन कराते हैं? विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वेद पाठी का 5 अंक अधिकाधिक 25 अंक						
4.	वेद प्रचार में छात्र एवं अध्यापक का भाग ग्रहण विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आयोजित वेद प्रचार कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
5.	वेदाध्यापन के अतिरिक्त उपक्रम- स्वच्छता, जल संरक्षण आदि विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आयोजित कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
6.	विगत पांच वर्षों में संमान्य व्यक्तियों का, वैदिक विद्वानों का आगमन आदि विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष संमान्य व्यक्तियों का कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						

गुरु-शिष्य- इकाई के प्रबन्धन, वित्तीय प्रशासन निकष (80)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	1.	2.	3.	4.	5.
1.	अन्य गुरु-शिष्य- इकाई के साथ सहयोग से कार्यक्रम किया प्रत्येक सहयोग कार्यक्रम का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
2.	स्थानीय 5 वैदिक विद्वानों से परामर्श किया है 5 वैदिक विद्वानों से परामर्श होने पर-5 अंक उस से कम-00						
3.	गुरु-शिष्य- इकाई का रेकार्ड संरक्षण विगत दस वर्षों का, प्रत्येक वर्ष का रिकार्ड अलमारी में अलग अलग संरक्षित रखने पर आधा (.5) अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
4.	गुरु-शिष्य- इकाई प्रबन्धन, वित्तीय व्यवस्था में कम्प्यूटर एक कम्प्यूटर -5 अंक, नहीं हो तो -00		----	-----	----	-----	
5.	गुरु-शिष्य- इकाई में अध्यापन कक्षा व्यवस्था प्रत्येक कक्ष का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
6.	प्रत्येक महीने में छात्र अध्यापक प्रगति परामर्श समावेश प्रत्येक परामर्श समावेश का 1 अंक, अधिकाधिक पांच						

	अंक						
7.	हितैषियों के साथ परामर्श समावेश प्रत्येक परामर्श समावेश का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
8.	नियत समय पर प्रतिष्ठान में रिकार्ड भेजना प्रत्येक वर्ष का नियत समय पर प्रतिष्ठान में रिकार्ड प्राप्त होने पर 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
9.	विगत तीन वर्षों में गुरु-शिष्य- इकाई में सुचारु व्यवस्था हेतु प्रतिष्ठान के अतिरिक्त दानियों एवं ट्रस्टियों से प्राप्त अतिरिक्त अन्य धन स्त्रोत, एवं धन संग्रहण की मात्रा (लाख में) 1 लाख से अधिक निधि संग्रहण-5 अंक 40 हजार से से 99 हजार तक निधि संग्रहण-4 अंक 31 हजार से से 39 हजार निधि संग्रहण-3 अंक 16 हजार से 30 हजार निधि संग्रहण-2 अंक 5 हजार से 15 हजार तक निधि संग्रहण-1 अंक 1 हजार से 4 हजार तक निधि संग्रहण-00 अंक						
10.	गुरु-शिष्य- इकाई विकास एवं सुरक्षा हेतु व्यवस्था- पीएफ, इन्शूरंस, गृह ऋण आदि गुरु-शिष्य- इकाई हेतु - पीएफ, जीवन बीमा इन्शूरंस, गृह ऋण, मेडिकल इन्शूरंस, बच्चों का शाला फीस -5						

	अंक पीएफ, जीवन बीमा इन्शूरंस, गृह ऋण, बच्चों का शाला फीस -4 अंक पीएफ, जीवन बीमा इन्शूरंस, बच्चों का शाला फीस -3 अंक पीएफ, बच्चों का शाला फीस -2 अंक -2 अंक बच्चों का शाला फीस -1 अंक -1 अंक केवल पीएफ -.5 अंक कोई व्यवस्था नहीं-00 अंक						
11.	परिसर स्वच्छता का पालन प्लास्टिक मुक्त, पेड पैधे हरा भरा एवं अत्यन्त स्वच्छ-5 प्लास्टिक मुक्त -4 स्वच्छ-3 उस से कम-00		-----	-----			
12.	गुरु-शिष्य- इकाई द्वारा भोजन एवं जल स्वच्छता का पालन अत्यन्त शुद्ध परिसर में आचार पूर्वक अत्यन्त स्वच्छ भोजन -5 उस से कम-00		-----	-----	-----	-----	

	परिसर में अत्यन्त स्वच्छ पेय जल -5 उस से कम-00						
13.	गुरु-शिष्य- इकाई द्वारा छात्र विकास हेतु व्यवस्था- (जीवन मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण) प्रति माह छात्र विकास हेतु मार्ग दर्शन सभा एवं प्रशिक्षण -5 प्रति दो माह छात्र विकास हेतु मार्ग दर्शन सभा एवं प्रशिक्षण -4 प्रति तीन माह छात्र विकास हेतु मार्ग दर्शन सभा एवं प्रशिक्षण -3 उस से कम-00		----	-------			
14.	गुरु-शिष्य- इकाई द्वारा छात्र सुरक्षा हेतु व्यवस्था छात्र प्रथम चिकित्सा एवं दवाई, फायर सेफ्टी-5 उस से कम-00		-----	-----	-----	-----	
15.	गुरु-शिष्य- इकाई द्वारा कृत ग्रन्थ प्रकाशन प्रत्येक ग्रन्थ प्रकाशन का 1 अंक, अधिकाधिक पांच						
16.	गुरु-शिष्य- इकाई द्वारा प्राप्त पुरस्कार प्रत्येक प्राप्त पुरस्कार का 1 अंक, अधिकाधिक पांच						

प्रतिष्ठान के कार्य में/ संमेलनों में गुरु-शिष्य- इकाई के भाग ग्रहण निकष (100)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	वेद सभा/ वेद संमेलनों में अध्यापक भाग ग्रहण / वेद संमेलन आदि में व्यवस्थापक कार्य-अध्यापक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक अध्यापक का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
2.	वेद परीक्षा का गोपनीय कार्य सुचारु सम्भाला-वर्ष प्रत्येक वर्ष अध्यापक भाग ग्रहण का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
3.	वेद अन्त्याक्षरी, स्पर्धा में छात्रों की तैयारी- अध्यापक द्वारा विगत तीन वर्षों मे, प्रत्येक वर्ष अध्यापक छात्रों की तैयारी का कार्य का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
4.	बाल वेद शिबिर संचालन में प्रतिष्ठान के कार्य में भाग ग्रहण/प्रतिष्ठान के कार्य-वेद पारायण में भाग ग्रहण- प्रत्येक वर्ष कार्य का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक प्रत्येक वर्ष में का कार्य का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						

- प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी इकाई का प्रत्येक ०३(तीन) वर्ष पश्चात निरीक्षण किया जाएगा ।

- निरीक्षण हेतु देशभर में अलग-अलग प्रान्त के अनुसार समितियां बनाई जाएगी। जो प्रान्त अनुसार इकाईयों का निरीक्षण करेगी।
- निरीक्षण समिति द्वारा ईकाइयों को गुणवत्ता के आधार पर की चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। यथा -

  सर्वोत्तम (A)= 70% से अधिक

  उत्तम (B) = 60% से 69.99 %

  मध्यम (C)= 50% से 59.99%

  निम्न (D) = 49.99% से कम
- इकाई को निम्न श्रेणी (D) प्राप्त होने पर इकाई का अनुदान तथा मान्यता रद्द की जा सकती है

पाठशाला-गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ श्रेणीकरण के मानदण्ड हो सकते हैँ *

शैक्षिक निकष (350 अंक)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	वेद अध्यापक योग्यता -उच्चतर अध्ययन प्रत्येक घनान्तपाठी को -25, क्रमपाठी को-20, जटा पाठी को-15, पद पाठी को-10, मूलपाठी जिसे वेद संहिता पूर्ण कण्ठस्थ है उसे -5, कण्ठस्थ नहीं है तो-00						
2.	प्रत्येक आधुनिक अध्यापक योग्यता - उच्चतर अध्ययन MA+B.Ed -15, BA+B.Ed-10, MA-5; M.A+B.Ed+Veda qualification -25 BA+B.Ed+Veda qualification -20						
3.	अध्यापकों की उपस्थिति में पाठ्य-चर्या संचालन (curriculum transaction)का रिकार्ड एवं समय सारणी प्रतिदिन 18 या उससे अधिक घंटे-25 प्रतिदिन 14 या उससे अधिक घंटे-20 प्रतिदिन 12 या उससे अधिक घंटे-15 प्रतिदिन 10 या उससे अधिक घंटे-10 प्रतिदिन 8 घंटे -5 उस से कम-0						
4.	वेद अध्यापकों द्वारा पिछले तीन वर्षों में पारम्परिक						

	परीक्षा निकाय से उत्तीर्ण परीक्षाएं पिछले तीन वर्षों में घनान्तपाठी हो तो -25, क्रमपाठी हो तो -20, जटा पाठी हो -15, पद पाठी हो तो -10 उस से कम-0						
5.	वेद एवं वेद भाष्य में व्याख्यान देने में समर्थ अध्यापक कितने हैं? केवल संस्कृत/ केवल हिन्दी,/ केवल प्रादेशिक भाषा/ में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-5 संस्कृत एवं हिन्दी में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-10 हिन्दी, प्रादेशिक भाषा, एवं अंग्रेजी में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-15 संस्कृत, हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषा में वेद भाष्य व्याख्यान देने में समर्थ-20 संस्कृत, हिन्दी, प्रादेशिक भाषा एवं अंग्रेजी में वेद भाष्य में व्याख्यान देने में समर्थ-25						
6.	अध्यापकों द्वारा स्वाध्याय-वेद शाखा पारायण आदि में सतत प्रवर्तन (प्रत्येक अध्यापक/ प्रत्येक कार्यक्रम एक अंक, अधिकाधिक पांच अंक)						
7.	अध्यापकों द्वारा शैक्षिक दिनचर्या का पालन						

	8 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-25, 7 घंटे का दिनचर्या पर-20, 6 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-15, 5 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-10, 4 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-5, उस से कम पर-00						
8.	अध्यापकों द्वारा नाना वेद शाखओं का / विकृति पाठों का अध्यापन (संहिता से भी उच्च अध्ययन अपेक्षित है) (मूल पाठ मात्र-5, पद पाठ-10, जटा पाठ-15, क्रमपाठ-20, घनपाठ -25)						
9.	छात्रों का सप्तम वर्ष परीक्षा परिणाम (पाठशाला का साधारण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
10.	छात्रों का वेद भूषण पंचम वर्ष परीक्षा परिणाम (पाठशाला का साधारण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
11.	छात्र संख्या प्रत्येक अध्यापक 10 होने पर- 25 अंक, 8-10 के बीच-20, 5 से 7 के बीच-15, 4 होने पर 10 अंक, 3						

	हो तो 5 अंक, 1 होने पर-00						
12.	अध्यापकों द्वारा चर्चासत्र / सम्मेलन का आयोजन /भागग्रहण प्रत्येक अध्यापक 5 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 25 प्रत्येक अध्यापक 4 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 20 प्रत्येक अध्यापक 3 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 15 प्रत्येक अध्यापक 2 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 10 प्रत्येक अध्यापक 1 चर्चासत्र / सम्मेलन में भागग्रहण होने पर- 5 प्रत्येक अध्यापक का भागग्रहण न होने पर, किसी एक का भी भाग ग्रहण न होने पर - 00						
13.	अध्यापकों द्वारा अन्य व्याख्यान/प्रवचन भागग्रहण साधारण में अध्यापक 5 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 25 साधारण में अध्यापक 4 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 20						

	साधारण में अध्यापक 3 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 15 साधारण में अध्यापक 2 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 10 साधारण में अध्यापक 1 व्याख्यान/प्रवचन में भागग्रहण होने पर- 5 प्रत्येक अध्यापक का भागग्रहण न होने पर, किसी एक का भी भाग ग्रहण न होने पर - 00						
14.	अध्यापकों द्वारा वेद विषय में प्राप्त पुरस्कार एक स्थानीय पुरस्कार में - 5 अंक वैदिक का समाज कार्य हेतु पुरस्कार में 5 अंक, विश्वविद्यालय स्तर में 10 अंक, राज्य स्तर पुरस्कार में 15 अंक, राष्ट्र स्तर पुरस्कार में 20 अंक अन्तर्- राष्ट्र स्तर पुरस्कार में 25 अंक						
15.	अध्यापकों द्वारा वेद विषय में प्रकाशन एक स्थानीय प्रकाशन पर 5 अंक , वैदिक समाज कार्य प्रकाशन पर में 5 अंक, विश्वविद्यालय स्तर प्रकाशन में 10 अंक, राज्य स्तर प्रकाशन में 15 अंक,						

	राष्ट्र स्तर प्रकाशन में 20 अंक, अन्तर्-राष्ट्रीय स्तर प्रकाशन में 25 अंक						

छात्र केन्द्रित निकष (225)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	प्रवेश प्रक्रिया- प्रत्येक अध्यापक 10 छात्र प्रवेश होने पर- 25 अंक, छात्र प्रवेश 8-10 के बीच-20, छात्र प्रवेश 5 से 7 के बीच-15, छात्र प्रवेश 4 होने पर 10 अंक, छात्र प्रवेश 3 हो तो 5 अंक, छात्र प्रवेश 1 होने पर-00						
2.	छात्रों के लिये सुविधा-छात्रों को पौष्टिक भोजन, सुयोग्य आवास आदि व्यवस्था प्रत्येक छात्र को खाद्य वस्तुएँ- 1.रोटी 2. दाल 3. सब्जी 4. चावल 5. स्वीट्/ पुरी-खीर 6. दूध 7. फल 8. छाच / दही सभी देने के प्रमाण मिलने पर 25, एक कम होने पर 5 अंक कम						
3.	छात्रों के अभिभावक के साथ परामर्श समावेश गत तीन वर्षों में प्रत्येक छह माह में एक बार परामर्श समावेश का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						

4.	छात्रों के विकास हेतु कार्यक्रम आयोजन अधिकाधिक 25 अंक, प्रत्येक आयोजन पर 5 अंक						
5.	अन्य आधुनिक भाषाओं - आंग्ल, हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं में छात्रों का प्रावीण्य (आधुनिक भाषाओं में छात्रों का साधारण उत्तीर्ण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
6.	अन्य आधुनिक विषयों-गणित, समाजविज्ञान , योग, कम्प्यूटर् आदि में छात्रों का प्रावीण्य- छात्रों का साधारण उत्तीर्ण प्रतिशत 95% से अधिक 25 अंक, 90% से 94% के बीच-20, 80% से 89% के बीच-15 70% से 79% के बीच-10, 60% से 69% के बीच-5, 60% से कम-00)						
7.	आचार निष्ठता एवं दिनचर्या पालन 8 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-25 अंक, 7 घंटे का दिनचर्या पर-20 अंक, 6 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-15 अंक, 5 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-10 अंक, 4 घंटे का पूरी दिनचर्या पर-5 अंक, उस से कम पर-00						
8.	खेल खूद व्यवस्था						

	गत तीन वर्षों में प्रत्येक खेल- कबड्डी, फुटबाल, चेस एवं वेल्ली बाल खेलने की सुविधा पर 5 अंक, अधिकाधिक 25,						
9.	सामाजिक उपयोगी कार्य व्यवस्था (SUPW) गत तीन वर्षों में प्रत्येक सामाजिक उपयोगी कार्य व्यवस्था पर 5 अंक, अधिकाधिक 25,						
10.	छात्रों द्वारा प्राप्त पुरस्कार गत तीन वर्षों में प्रत्येक पुरस्कार पर 5 अंक, अधिकाधिक 25,						

ग्रन्थालय निकष (90 अंक)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	1.	2.	3.	4.	5.
1.	वेद सस्वर सी.डी /डी .वी. वी प्रत्येक छात्र एक सी.डी -5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 सी.डी -00						
2.	ग्रन्थालय में कम्प्यूटर प्रति पांच छात्र एक कम्प्यूटर -5 अंक, प्रति 10 छात्र या उस से अधिक, 1 कम्प्यूटर -00		---	----	----	-----	

3.	वेद के ग्रन्थ संख्या प्रतिच्छात्र 1 वेद ग्रन्थ-5, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक 1 संहिता ग्रन्थ-00,		-----	-----	-----	-----	
4.	वेदांगों के ग्रन्थ संख्या प्रतिच्छात्र 1 वेदांगों के ग्रन्थ-5, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक 1 वेदांगों के ग्रन्थ-00,		-----	-----	-----	-----	
5.	वेद के अर्थ बोधक ग्रन्थ संख्या प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
6.	संस्कृत सम्भाषण परक ग्रन्थ प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ -5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
7.	संस्कृत सम्भाषण परक सी.डी प्रत्येक छात्र एक सी.डी -5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 सी.डी -00						
8.	संस्कृत व्याकरण परक ग्रन्थ-वाक्यरचना बोधक ग्रन्थ प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
9.	धातुपाठ ग्रन्थ प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक, 1 ग्रन्थ -00		-----	-----	-----	-----	

10.	शब्दमञ्जरी प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक छात्र, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
11.	अमरकोश प्रत्येक छात्र एक ग्रन्थ-5 अंक, प्रति 2 छात्र या उस से अधिक छात्र, 1 ग्रन्थ -00,		-----	-----	-----	-----	
12.	आधुनिक विषयों के ग्रन्थ संख्या प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
13.	छात्रों के मन के अनुकूल-ज्ञान वर्धक कहानी- जैसे- चन्दमामा, उपनिषत के बालकों के कहानी, चम्पक, तेनाली राम, विक्रम बेताल, आदि पुस्तक संख्या प्रत्येक विविधता का ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
14.	छात्रों के सामान्य ज्ञान नियतकालिक-प्रतियोगिता दर्पण, सम्भाषण सन्देश आदि प्रत्येक विविधता का नियतकालिक -1 अंक, अधिकाधिक पांच						
15.	विश्वकोश संख्या/भारतीय ज्ञान प्रणाली ग्रन्थ प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
16.	NCERT/NIOS पाठ्यपुस्तक/राज्य सरकार के पाठ्यपुस्तक प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						

17.	भारतीय भाषाओं में गणित, समाजविज्ञान एवं विज्ञान पुस्तक प्रत्येक ग्रन्थ-1 अंक, अधिकाधिक पांच						
18.	ग्रंथालय में पुस्तक लेनदेन समीक्षा एवं ग्रंथालय अभिलेख (रिकार्ड) विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष का 1 अंक						

पाठशाला का समाज मुखी कार्य निकष (150)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	संस्था द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय +राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम/ अध्यापकों द्वारा भाग ग्रहण विगत पांच वर्षों का, प्रत्यक वर्ष आयोजित राज्यस्तरीय का 5 अंक, राष्ट्र स्तरीय का 10 अंक प्रत्येक अध्यापक भाग ग्रहण का प्रत्येक वर्ष का 5 अंक अधिकाधिक 25 अंक						
2.	सामान्य जनों के लिये वेद ज्ञान कार्यक्रम आयोजन विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आयोजित वेद ज्ञान						

	कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
3.	छात्रों में से कितने वेद अध्यापक हुए हैं, एवं वेद अध्यापन कराते हैं? विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वेद पाठी का 5 अंक अधिकाधिक 25 अंक						
4.	वेद प्रचार में छात्र एवं अध्यापकों का भाग ग्रहण विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आयोजित वेद प्रचार कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
5.	वेदाध्यापन के अतिरिक्त उपक्रम- स्वच्छता, जल संरक्षण आदि विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष आयोजित कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
6.	विगत पांच वर्षों में संमान्य व्यक्तियों का, वैदिक विद्वानों का आगमन आदि विगत पांच वर्षों का, प्रत्येक वर्ष संमान्य व्यक्तियों का कार्यक्रम का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						

पाठशाला प्रबन्धन, वित्तीय प्रशासन निकष (85)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/अंक/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रबन्धन / कार्यकारिणी समिति की कितने समावेश						

	एक वर्ष में प्रत्येक समावेश का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
2.	संस्था विकास हेतु ध्येय के अनुरूप कार्यक्रम- व्यवस्था परामर्श-कार्यकारिणी समिति सदस्यों का सहयोग- प्रत्येक कार्यक्रम का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
3.	प्रबन्धन / कार्यकारिणी में 2 वैदिक विद्वानों की सदस्यता 2 सदस्य होने पर-5 अंक उस से कम-00						
4.	संस्था का रेकार्ड संरक्षण विगत दस वर्षों का, प्रत्येक वर्ष का रिकार्ड अलमारी में अलग अलग संरक्षित रखने पर आधा (.5) अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
5.	पाठशाला प्रबन्धन, वित्तीय प्रशासन में कम्प्यूटर प्रत्येक कर्मचारी पर एक कम्प्यूटर -5 अंक, प्रति 2 कर्मचारी या उस से अधिक, 1 कम्प्यूटर -00		----	-----	----	-----	
6.	पाठशाला में अध्यापन कक्षा व्यवस्था प्रत्येक कक्ष का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
7.	प्रत्येक महीने में छात्र अध्यापक प्रगति परामर्श समावेश प्रत्येक परामर्श समावेश का 1 अंक, अधिकाधिक पांच						

	अंक						
8.	हितैषियों के साथ परामर्श समावेश प्रत्येक परामर्श समावेश का 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
9.	आय व्यय लेखे एवं नियत समय पर प्रतिष्ठान में भेजना प्रत्येक वर्ष का नियत समय पर प्रतिष्ठान में प्राप्त होने पर 1 अंक, अधिकाधिक पांच अंक						
10.	विगत तीन वर्षों में पाठशाला सुचारु व्यवस्था हेतु प्रतिष्ठान के अनुदान के अतिरिक्त दानियों एवं ट्रस्टियों से प्राप्त अतिरिक्त अन्य धन स्त्रोत, एवं धन संग्रहण की मात्रा (लाख में) 51 लाख से अधिक निधि संग्रहण-5 अंक 41 लाख से से 50 लाख निधि संग्रहण-4 अंक 31 लाख से से 40 लाख निधि संग्रहण-3 अंक 16 लाख से 30 लाख निधि संग्रहण-2 अंक 5 लाख से 15 लाख तक निधि संग्रहण-1 अंक 1 लाख से 4.99 लाख तक निधि संग्रहण-00 अंक						
11.	प्रत्येक अध्यापक एवं कर्मचारी विकास एवं सुरक्षा हेतु व्यवस्था-पीएफ, इन्शूरंस, गृह ऋण आदि प्रत्येक अध्यापक एवं कर्मचारी हेतु - पीएफ, जीवन						

	बीमा इन्शूरंस, गृह ऋण, मेडिकल इन्शूरंस, बच्चों का शाला फीस -5 अंक पीएफ, जीवन बीमा इन्शूरंस, गृह ऋण, बच्चों का शाला फीस -4 अंक पीएफ, जीवन बीमा इन्शूरंस, बच्चों का शाला फीस -3 अंक पीएफ, बच्चों का शाला फीस -2 अंक -2 अंक बच्चों का शाला फीस -1 अंक -1 अंक केवल पीएफ -.5 अंक कोई व्यवस्था नहीं-00 अंक						
12.	परिसर स्वच्छता का पालन प्लास्टिक मुक्त, पेड पैधे हरा भरा एवं अत्यन्त स्वच्छ-5 प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ -4 स्वच्छ-3 स्वच्छ नहीं-00		-----	-----			
13.	पाठशाला द्वारा भोजन एवं जल स्वच्छता का पालन अत्यन्त शुद्ध परिसर में आचार पूर्वक अत्यन्त स्वच्छ		-----	-----	-----	-----	

	भोजन -5 स्वच्छ नहीं-00 परिसर में अत्यन्त स्वच्छ पेय जल -5 स्वच्छ नहीं-00						
14.	पाठशाला द्वारा छात्र विकास हेतु व्यवस्था- (जीवन मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण) प्रति माह छात्र विकास हेतु मार्ग दर्शन सभा एवं प्रशिक्षण -5 प्रति दो माह छात्र विकास हेतु मार्ग दर्शन सभा एवं प्रशिक्षण -4 प्रति तीन माह छात्र विकास हेतु मार्ग दर्शन सभा एवं प्रशिक्षण -3 उस से कम-00		----	-------			
15.	पाठशाला द्वारा छात्र सुरक्षा हेतु व्यवस्था छात्र प्रथम चिकित्सा एवं दवाई, फायर सेफ्टी-5 उस से कम-00		-----	-----	-----	-----	
16.	पाठशाला द्वारा कृत ग्रन्थ प्रकाशन प्रत्येक ग्रन्थ प्रकाशन का 1 अंक, अधिकाधिक पांच						
17.	पाठशाला द्वारा प्राप्त पुरस्कार						

	प्रत्येक प्राप्त पुरस्कार का 1 अंक, अधिकाधिक पांच						

प्रतिष्ठान के कार्य में/ संमेलनों में भाग ग्रहण निकष (100)

	गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ श्रेणीकरण के मानदण्ड	00	5	10	15	20	25
1.	वेद सभा/ वेद संमेलनों में अध्यापक भाग ग्रहण / वेद संमेलन आदि में व्यवस्थापक कार्य-अध्यापक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक अध्यापक का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
2.	वेद परीक्षा का गोपनीय कार्य सुचारु सम्भाला-वर्ष प्रत्येक वर्ष अध्यापक भाग ग्रहण का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
3.	वेद अन्त्याक्षरी, स्पर्धा में छात्रों की तैयारी- अध्यापक द्वारा विगत तीन वर्षों मे, प्रत्येक वर्ष अध्यापक छात्रों की तैयारी का कार्य का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						
4.	बाल वेद शिबिर संचालन में प्रतिष्ठान के कार्य में भाग ग्रहण/प्रतिष्ठान के कार्य-वेद पारायण में भाग ग्रहण- प्रत्येक वर्ष कार्य का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक प्रत्येक वर्ष में का कार्य का 5 अंक, अधिकाधिक 25 अंक						

- प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी **पाठशाला-** का प्रत्येक ०३(तीन) वर्ष पश्चात निरीक्षण किया जाएगा ।
- निरीक्षण हेतु देशभर में अलग-अलग प्रान्त के अनुसार समितियां बनाई जाएगी। जो प्रान्त अनुसार **पाठशाला** का निरीक्षण करेगी।
- निरीक्षण समिति द्वारा पाठशाला को **पाठशाला-गुणवत्ता के ग्रेडिंग/ श्रेणीकरण के मानदण्डों से प्राप्त अंकों के आधार पर** चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। यथा –

सर्वोत्तम	(A)= 70% से अधिक
उत्तम	(B) = 60% से 69.99 %
मध्यम	(C)= 50% से 59.99%
निम्न	(D) = 49.99% से कम

पाठशाला को निम्न श्रेणी (D) प्राप्त होने पर पाठशाला का अनुदान तथा मान्यता रद्द की जा सकती है